सं० ओ० वि०/गुड़गांव/120-85/32727.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर 4, गुड़गांव के श्रमिक श्री रत्न सिंह, पुत्र श्री रखा मार्फत मर्कनटाईल एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली, 110060 तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद-ग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रत्न सिंह की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

संख्या ओ० वि०/गुड़गांव/115-85/32734.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर 4, गुड़गांव के श्रमिक श्री विजय पाल सिंह, पुत्र श्री राम दत सिंह मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री विजय पाल सिंह की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/124-85/32741.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर 4, गुड़गांव के श्रमिक श्री रत्न लाल, पुत्र श्री बुधला मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री रत्न लाल की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/123-85/32749.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० प्रशासक, हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण, सैक्टर 4, गुड़गांव, के श्रमिक श्री साहब राम, पुत्र श्री राम सिंह मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रधान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री साहब राम की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?